




भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY



सं. 30] नई दिल्ली, जुलाई 18—जुलाई 24, 2010, शनिवार/शुक्रवादि 27 श्रावण 2, 1932
No. 30] NEW DELHI, JULY 18—JULY 24, 2010, SATURDAY/FRIDAY 27—SHRAVANA 2, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक् संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 जून, 2010

सा.का.नि. 116.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (उपनिदेशक) भर्ती नियम, 1973 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (उपनिदेशक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पुलिस अनुसंधान और विकास (उपनिदेशक) भर्ती नियम, 1973 में,-
(1) नियम 2 में-
(क) पार्श्व शीर्षक में "वेतनमान" शब्द के स्थान पर "वेतन बैंड और ग्रेड-वेतन/वेतनमान" शब्द रखे जाएंगे।
(ख) "वेतनमान" शब्द के स्थान पर "वेतन बैंड और ग्रेड-वेतन/वेतनमान" शब्द रखे जाएंगे।
(11) विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

अनुसूची

| नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान | चयन अथवा अचयन पद | सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|----------|---|--|---|------------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| उपनिदेशक | 10* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय | पी.बी.-4 37,400 67000/-रु. धन ग्रेड वेतन 8900/- रु. | चयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
| (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | कुछ नहीं |

| | |
|--|--|
| भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा |
| (11) | (12) |

10% प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
90% प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति :

ऐसा सहायक निदेशक जिसने वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु. में बारह वर्ष नियमित सेवा की हो।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : परिवीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए नियमित आधार पर दी गई वह सेवा जो अधिकारी

